झारखण्ड उच्च न्यायालय

रिट याचिका (सेवा) 2337 वर्ष 2023

कविलास देवी, उम्र लगभग 64 वर्ष, पत्नी स्व. बरहान मण्डल, निवासी, गाँव : औरवातंद. डाकखाना- मंड्रामो, थाना-सुरिया, जिला गिरिडीह **झारखण्ड** **-----याचिकाकर्ता**

बनाम

1. भारत संघ द्वारा महाप्रबंधक, दक्षिणपूर्व रेलवे, गार्डेनरीच, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700043
2. मंडल रेल प्रबंधक, पूर्वमध्य रेलवे, धनवाद झारखण्ड - 826001
3. वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, धनवाद, झारखण्ड - 826001
4. मुख्य यार्ड मास्टर, पाथेरडीह डाकखाना, थाना-पाथेरडीह, जिला-धनवाद, झारखण्ड- 833102 **--------उत्तरदातागण**

कोरम : मा. श्री न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद

मा. श्री न्यायमूर्ति संजय प्रसाद

याचिकाकर्ता के लिए : श्री ऋषिकेश गिरि, अधिवक्ता

उत्तरदातागण के लिए : श्री अनिल कुमार गंझू, सीजीसी

<u>आदेश सं. 06/ दिनांक 7 फरवरी, 2024</u>

द्वारा सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायमूर्ति

1. यह रिट याचिका ओ.ए.सं. 051/0078/2023 में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सर्किट पीठ, राँची द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-03-2023 के विरूद्ध निदेशित भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन है जिसके द्वारा तथा जिसके अन्तर्गत अनुतोष जैसा कुटुम्ब पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए स्वयं को हकदार ठहराने के लिए विद्वान अधिकरण के समक्ष रिट याचिकाकर्ता द्वारा ईप्सित था, दिये जाने से इंकार किया गया है।
2. रिट याचिका मे किये गये अभिवचनो के अनुसार मामले का संक्षिप्त तथ्य, जिसे परिगणित किया जाना आवश्यक है, यहाँ निम्नवत पठित है :-
3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता का पति स्व. बरहान मंडल 08-04-1984 को रेलवे में नियुक्त किया गया था तथा लगभग 32 वर्षो की बेदाग सेवा देने के बाद 31-03-2016 को शंटमैन के रूप में सेवा से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लिया था।
4. याचिकाकर्ता के पति ने स्व. धनेश्वरी देवी से विवाह अनुष्ठापित किया था लेकिन धनेश्वरी देवी ने ससुराल छोड़ दिया था। चूँकि स्व. धनेश्वरी देवी ने ससुराल छोड़ दिया था, स्व. वरहान मण्डल (याचिकाकर्ता के पति) के पिता तथा माँ की देखभाल करने के

लिए घर में कोई महिला नही थी तथा इस स्थिति में स्व. बरहान मंडल के पिता ने याचिकाकर्ता का विवाह स्व. बरहान मण्डल के साथ अनुष्ठापित किया था।

5. स्व. बरहान मण्डल का विवाह अपरिपक्व लड़कपन में धनेश्वरी देवी के साथ हो गया था तथा इस विवाह से इसे 3 संताने अर्थात यशोदा देवी, रेसोमण्डल तथा प्यारी मण्डल पैदा हुए थे लेकिन इसने सुसराल छोड दिया था तथा अपने मायके में रहना आरंभ किया था क्योकि उस समय बरहान मण्डल बेरोजगार था। धनेश्वरी देवी एक दशक से ज्यादा समय तक वापस नही लौटी थी तथा तत्पश्चात स्व. बरहान मण्डल ने इस याचिकाकर्ता से विवाह किया था। इस विवाह से कुल मिलाकर पाँच संताने पैदा हुई थी अर्थात प्रदीप मंडल, देवयांती देवी, चिंता देवी, सरिता देवी तथा अशोक मंडल। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि सभी संताने धनेश्वरी देवी बहहान मंडल के बीच विवाह से पैदा हुई थी वयस्क तथा विवाहित है उम्र 40 वर्ष से अधिक है। इसी प्रकार, स्व. बरहान मंडल तथा याचिकाकर्ता के बीच विवाह से पैदा हुई संताने वयस्क तथा विवाहित है।

6. वीआरएस के बाद, मृतक कर्मचारी को पेंशन जारी किया गया था तथा अपने मृत्यु पर्यन्त नियमित रूप से अपना पेंशन ले रहा था। बीमारी के कारण याचिकाकर्ता के पति स्व. बरहान मंडल 11-05-2021 को मर गया था।

7. याचिकाकर्ता जो मृतक कर्मचारी अर्थात स्व. बरहान मंडल की पत्नी है को कुटुम्ब पेंशन देने के दावा को पत्र दिनांक 11-10-2022 द्वारा इस आधार पर नामंजूर किया गया है की वह स्व. बरहान मंडल की दूसरी पत्नी है क्योकि दूसरी पत्नी को कुटुम्ब पेंशन देने की कोई पॉलिसी नही है।

8. पहली पत्नी धनेश्वरी देवी 10-12-2018 को स्व. बरहान मंडल के पहले मर गई थी।

9. स्व. बरहान मंडल के मृत्यु के बाद याचिकाकर्ता ने कुटुम्ब पेंशन दिये जाने हेतु आवेदन किया था।

10. याचिकाकर्ता का मामला यह हैकि पेंशन कागज काफी स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता को मृतक कर्मचारी का पत्नी होने तथा पेंशन में नामनिर्देशिती होने का उल्लेख करता है। सभी सरकारी दस्तावेजो में, याचिकाकर्ता का नाम मृतक कर्मचारी अर्थात बरहान मंडल के पत्नी के रूप में उल्लेखित है। यहाँ तक कि ग्रामीणो ने भी लिखित दिया है कि याचिकाकर्ता का विवाह स्व. बरहान मण्डल के साथ हुआ था तथा यह एक मात्र उत्तरजीवी पत्नी है जो अकिचंनता में रह रही है।

11. याचिकाकर्ता पहले पत्र दिनांक 11/10/2022 का अभिखंडन करने के अनुरोध के साथ मूल आवेदन ओ.ए.सं.051/00078/2023 दाखिल करते हुए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के पास गई है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी ने कुटुम्ब पेंशन तथा कुटुम्ब पेंशन मंजूर करने के लिए उत्तरदातागण को निदेश तथा तद्नुसार उपरोक्त आदेशो का अभिखंडन करने के पश्चात आवेदक को प्रोदभूत बकाया के साथ कुटुम्ब पेंशन अदा करने के दावा को नामंजूर किया था।

12. विद्वान अधिकरण ने आदेश दिनांक 14/03/2023 द्वारा इस आधार पर पूर्वोक्त मूल आवेदन को खारिज किया था कि वर्तमान आवेदिका को मृतक कर्मचारी की वैधानिक रूप से विवाहिता पत्नी होना नही कहा जा सकता है तथा इसलिए, न तो इस नियम के अधीन या किसी अन्य नियम के अधीन इसे कुटुम्ब पेंशन दिया जा सकता है। विदवान अधिकरण के पूर्वोक्त आदेश के विरूद्ध, इस रिट याचिका को अधिमानित किया गया है।

13. एतस्मिनउपरोक्त निर्दिष्ट तथा किये गये अभिवचनो के अनुसार तथ्यात्मक पहलू से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता दूसरी पत्नी होने का दावा करती है तथा इस क्षमता में वह मृतक कर्मचारी अर्थात स्व. बरहान मंडल की विधवा होने का दावा करती है। विधवा का इस प्रकार का दावा इस तथ्य के पृष्ठ भूमि पर है कि उक्त मृतक कर्मचारी धनेश्वरी देवी के साथ पहले विवाह से पैदा हुआ था तथा पूर्वोक्त विवाह अर्थात मृतक कर्मचारी तथा धनेश्वरी देवी से तीन संताने पैदा हुई है। तत्पश्चात धनेश्वरी देवी रिट याचिकाकर्ता के मामले के अनुसार किसी और के साथ भाग गई थी।

14. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उक्त बरहान मंडल, मृतक कर्मचारी ने आवेदिका से विवाह किया था। उक्त धनेश्वरी देवी,पहली पत्नी वर्ष 2018 में मर गई थी। उक्त बरहान मंडल, मृतक कर्मचारी भी 11-05-2021 को मर गया था।

15. रिट याचिकाकर्ता जो विद्वान अधिकरण के समक्ष आवेदिका थी, ने इस आधार पर कुटुम्ब पेंशन के लाभ हेतु स्वयं को हकदार ठहराने के लिए शिकायत उठाई है कि वह मृतक कर्मचारी अर्थात उक्त बरहान मंडल की विधवा है तथा इस आशय की घोषणा संबंधित मृतक कर्मचारी द्वारा सेवा अभिलेख में किया गया है। इस आशय का दस्तावेज अर्थात फार्म-6 संलग्न किया गया है जिसमें रिट याचिकाकर्ता अर्थात कविलास देवी का नाम मृतक कर्मचारी के पत्नी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है तथा इस दावा का समर्थन करने के लिए रिट याचिकाकर्ता द्वारा आधार कार्ड तथा पैन कार्ड जैसे अन्य दस्तावेजो को भी संलग्न किया गया है कि वह मृतक कर्मचारी की विधवा है।

16. विद्वान अधिकरण ने उत्तरदातागण को बुलाया था। इसके अनुसरण में, पेशी किया गया था।

17. आधार लिया गया है कि कुटुम्ब पेंशन दूसरी पत्नी को अनुज्ञेय है लेकिन इस महिला को वैधानिक रूप से विवाहिता पत्नी होना चाहिए तथा आवेदिका मृतक कर्मचारी की वैधानिक रूप से विवाहिता पत्नी नही है।

18. उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता ने सीसीएस (पेंशन) नियमवली 1972 के नियम 7 (क) (i) को निर्दिष्ट किया है।

19. विद्वान अधिकरण ने, पक्षकारो की ओर से किये गये प्रतिद्वन्दी निवेदनो को ध्यान में रखने के पश्चात तथा सीसीएस (पेंशन) नियमवली 1972 के नियम 7 (क) (i) या प्रावधान के विवक्षा पर विचार करते हुए इस निष्कर्ष पर आते हुए मूल आवेदन को खारिज किया है कि महिला जो वैधानिक रूप से विवाहिता पत्नी नही है को पूर्वीक्त नियम के अन्तर्गत विधवा के रूप में नही माना जा सकता है।

20. रिट याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित होते हुए विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषिकेश गिरि ने निम्न आधारो पर आक्षेपित आदेश पर अभ्याक्रमण किया है :-

    (i) मृतक कर्मचारी ने फार्म-6 तथा अन्य दस्तावेजो को भरा है जिसमें रिट याचिकाकर्ता का नाम अपने पत्नी के रूप में निर्दिष्ट करते हुए प्रकटीकरण किया गया है।

    (ii) रिट याचिकाकर्ता के दावा की नामंजूरी, जैसा उपाबंध-1 के रूप में संलग्न है, उस तथ्य पर आधारित है कि दूसरी पत्नी कुटुम्ब पेंशन हेतु हकदार नही है

    (iii) यद्यपि विद्वान अधिकरण ने मूल आवेदन को खारिज किया है लेकिन इस आधार पर जिसे संबंधित प्राधिकारी द्वारा लिया गया था जिसमें नामंजूरी का आधार लिया गया है कि दूसरी पत्नी कुटुम्ब पेंशन पाने की हकदार नही है जबकि सीसीएस (पेंशन) नियम 7 (क) (i) भिन्न है।

21. पूर्वीक्त आधार पर आधारित रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि विद्वान अधिकरण द्वारा पारित आदेश स्पष्ट अवैधता से ग्रसित है।

22. इन्होने ***2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 1026 में संप्रकाशित शिरामाबाई पत्नी पुण्डलीक भावे तथा अन्य बनाम कैप्टन, अभिलेख अधिकारी कृते ओ.आई.सी.*** अभिलेख,

सेना कार्य अभिलेख,गया. बिहार राज्य तथा एक अन्य के मामले में मा. शीर्ष न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय पर भरोसा किया है।

23. जबकि दूसरी तरफ, उत्तरदातागण के लिए उपस्थित होते हुए विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार गंझू ने उन आधारो को दोहराया है जिसे विद्वान अधिकरण के समक्ष लिया गया था जैसा आक्षेपित आदेश के पैरा 6 में निर्दिष्ट है।

24. जहाँ तक भरोसा जिसे मा. शीर्ष न्यायालय के निर्णय पर रिट याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित हो रहे विद्वान अधिवक्ता द्वारा रखा गया है का संबंध है, यह निवेदन किया गया है कि पूर्वोक्त निर्णय वर्तमान मामले के दिये गये तथ्यो में लागू नही होता है।

25. हमने पक्षकारो के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा आक्षेपित आदेश में विद्वान अधिकरण द्वारा लेखबद्ध निष्कर्ष का परिशीलन किया।

26. यह न्यायालय, आक्षेपित आदेश के वैधता तथा औचित्य में जाने से पहले, जिससे (1997) 3 एससीसी 261 में संप्रकाशित एल. चन्द्र कुमार बनाम भारत संघ तथा अन्य के मामले में मा. शीर्ष न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के दृष्टिगत न्यायिक पुनर्विलोकन के शक्ति का प्रयोग किया जा सके जिसके द्वारा तथा जिसके अन्तर्गत उच्च न्यायालय को न्यायिक पुर्निविलोकन की शक्ति का प्रयोग करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन शक्ति प्रदान किया गया है। सुसंगत पैरा के संदर्भ को इसमें निर्दिष्ट किये जाने की आवश्यकता है जो यहाँ निम्नवत पठित है:-

> “99. हमारे द्वारा अपनाये गये तर्क के दृष्टिगत, हम धारित करते है कि अनुच्छेद 323 - क का खण्ड 2 (घ) तथा अनुच्छेच 323 - ख का खण्ड 3 (घ) उस विस्तार तक जहाँ तक यह संविधान के अनुच्छेद 226/227 तथा 32 के अधीन उच्च न्यायालयो तथा उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता का अपवर्जन करता है, असंवैधानिक है। अधिनियम की धारा 28 तथा अनुच्छेद 323-क तथा 323- ख के तत्वावधान में अधिनियमिति सभी अन्य विधानो में खण्ड “अधिकारिता का अपवर्जन” इसी विस्तार तक असंवैधानिक होगा। अनुच्छेद 226/227 के अधीन उच्च न्यायालयो को तथा संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त अधिकारिता हमारे संविधान के अलंघनीय मूलभूत संरचना का एक हिस्सा है। जबकि इस अधिकारिता को निकाला नही जा सकता है, अन्य न्यायालय तथा अधिकरण संविधान के अनुच्छेद 226/227 तथा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियो के प्रयोग में अनुपूरक भूमिका अदा कर सकते है संविधान के अनुच्छेद 323-क तथा अनुच्छेद 323-ख के अधीन सृजित अधिकरणो के पास कानूनी प्रावधानो तथा नियमो के संवैधानिक वैधता की जाँच करने के लिए सक्षमता होती है। फिर भी, इस अधिकरणो के सभी निर्णय उच्च न्यायालय के खण्डपीठ के समक्ष छानबीन के अधीन होगे जिसके अधिकारिता में संबंधित अधिकरण आता है। विधि के उन क्षेत्रो के संबंध में जिसके लिए इन्हे गठित

किया गया है फिर भी अधिकरण पहली बार के न्यायालयो जैसा लगातार कार्य करेगे। इसलिए ऐसे मामले में भी वादकारीगण सीधे उच्च न्यायलयो में जाने के लिए स्वतंत्र नही होगे जहाँ ये संबंधित अधिकरण के अधिकारिता की अनदेखी करते हुए कानूनी विधानो के शक्तिमत्ता पर आपत्ति करते है (सिवाय वहाँ जहाँ विधान जो विशेष अधिकरण सृजित करता है को चुनौती दिया जाता है) अधिनियम की धारा 5 (6) वैध तथा संवैधानिक है तथा इसका निर्वचन उस रीति से किया जाना चाहिए जैसा हमने बताया है।

27. विधि सुस्थापित है कि न्यायिक पुनर्विलोकन के शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए यदि अभ्याक्रमण किये गये आदेश को देखते ही कोई त्रुटि स्पष्ट है कानूनी प्रावधान के उल्लंघन के दोष से ग्रसित है, इस संबंध में ***संदर्भ (2019) 18 एससीसी 39 में संप्रकाशित पश्चिम बंगाल केन्द्रीय विद्यालय सेवा आयोग तथा अन्य बनाम अब्दुल हलीम तथा अन्य*** के मामले में मा. शीर्ष न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का किया जा सकता है, जिसमें, पैरा 30 में यह निम्नवत अभिनिर्धारित किया गया है:-

> "30. न्यायिक पुनर्विलोकन के अपने शक्ति के प्रयोग में, न्यायालय को यह विचार करना होता है कि क्या आक्षेपित निर्णय विधि के स्पष्ट त्रुटि द्वारा संदूषित है। यह अवधारित करने की जाँच कि क्या निर्णय अभिलेख को देखते ही स्पष्ट त्रुटि द्वारा संदूषित है या क्या त्रुटि अभिलेख को देखते ही स्वतः स्पष्ट है या क्या त्रुटि को साबित करने के लिए जाँच या तर्क आवश्यक है। यदि त्रुटि बिन्दुओ पर तर्क के प्रक्रिया द्वारा साबित किया जाना चाहिए जहाँ युक्तियुक्त रूप से दो राय हो सकती है, इसे अभिलेख को देखते ही त्रुटि नही कहा जा सकता है, जैसा एआईआर 1960 एससी 137 में संप्रकाशित सत्य नारायण बनाम मल्लिकार्जुन में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है। यदि कानूनी नियम के प्रावधान का युक्तियुक्त तरीके से दो या अधिक अर्थान्वयन होता है तथा एक अर्थान्वयन को अपनाया गया है, निर्णय रिट न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के लिए खुला नही होगा। यह मात्र सुसंगत कानूनी प्रावधान का स्पष्ट गलत निर्वचन या इसकी अज्ञानता या उपेक्षा तथा उन कारणो पर आधारित निर्णय है जो स्पष्ट रूप से विधि में गलत है, जिसे रिट न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी करते हुए ठीक किया जा सकता है"

28. इसी प्रकार, (***1955) 1 एससीआर 250 में संप्रकाशित टी.सी. वसप्पा बनाम टी. नागप्पा*** के मामले में मा. शीर्ष न्यायालय ने निम्नवत अभिनिर्धारित किया है:-

> "स्वयं अवधारणा या निर्णय में त्रुटि भी उत्प्रेषण रिट के अधीन हो सकता है लेकिन इसे कार्यवाहियो को देखते ही स्पष्ट त्रुटि होनी चाहिए उदाहरणार्थ जब यह विधि के प्रावधान के स्पष्ट अज्ञानता या उपेक्षा पर आधारित होता है। दूसरे शब्दो में, यह स्पष्ट त्रुटि है जिसे उत्प्रेषण रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है लेकिन मात्र गलत निर्णय नही"

29. पूर्वोक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि न्यायिक पुनर्विलोकन के शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए यदि त्रुटि इस प्रकार के आदेश को देखते ही स्पष्ट है।

30. यह न्यायालय अब आक्षेपित आदेश के वैधता तथा औचित्य की जाँच करने के लिए अग्रसर हो रहा है जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा यह विचार किया जाना आवश्यक है कि क्या-

(i) वर्तमान मामले के तथ्यो के आधार पर, रिट याचिकाकर्ता के हैसियत को "विधवा" का कहा जा सकता है जिससे इसे कुटुंब पेंशन का लाभ प्राप्त करने का हकदार ठहराते हुए सीसीएस (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 7 (क) (i) के पहले के प्रावधान के लपेटे में लाया जा सके।

(ii) इस आधार पर रिट याचिकाकर्ता के दावा को नामंजूर करने के द्वारा अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय कि चूकि रिट याचिकाकर्ता दूसरी पत्नी थी, अतः दूसरी पत्नी कुटुंब पेंशन की हकदार नही है।

(iii) इस तथ्य को स्वीकार करते हुए भी कि रिट याचिकाकर्ता के दावा को नामंजूर करते हुए गलत आधार लिया गया है, क्या मामले को वापस भेजना न्यायसंगत तथा उचित हो सकता है यदि रिट याचिकाकर्ता के पास सीसीएस (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 7 (क) (i) के प्रावधान के दृष्टिगत कोई मामला नही है।

31. इस न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम विवाद्यक सं. (i) तथा (ii) का उत्तर देना आवश्यक है तथा तत्पश्चात विवाद्यक सं. (iii) का विनिश्चय किया जायेगा।

32. इसमें स्वीकृत तथ्य यह है कि मृतक कर्मचारी अर्थात बरहान मंडल, जो सेवा में था, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन किया था तथा 31-03-2016 को सेवा से अलग किया गया था।

33. रिटा याचिकाकर्ता का यह स्वीकृत मामला है कि मृतक कर्मचारी अर्थात बरहान मंडल, जो सेवा से अलग होने के बाद मर गया था, ने धनेश्वरी देवी से विवाह किया था।

34. आगे स्वीकृत तथ्य है कि रिट याचिकाकर्ता जो वैधानिक रूप से विवाहिता पत्नी होने का दावा करती है तथा इस हैसियत से वह लंबे समय से मृतक कर्मचारी के साथ रह रही थी तथा मृतक कर्मचारी के मृत्यू के बाद, वह मृतक कर्मचारी की विधवा होने के दावा करती है।

35. प्रथम पत्नी धनेश्वरी देवी, जो सर्वसम्मति से वैधानिक रूप से विवाहिता पत्नी थी, मृतक कर्मचारी अर्थात बरहान मंडल के साथ विवाह से तीन संताने थी। लेकिन वह वर्ष 2018 में कभी मर गई थी तथा तत्पश्चात, कर्मचारी भी 11-05-2021 को मर गया है।

36. मृतक कर्मचारी के मृत्यु के बाद, रिट याचिकाकर्ता अर्थात कवीलास देवी ने सीसीएस (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 7 (क) (i) के प्रावधान के दृष्टिगत स्वयं को कुटंब पेंशन का हकदार ठहराने के लिए अपनी शिकायत उठाया है।

37. उक्त दावा को इस आधार पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा उपाबंध- 1 दिनांक 11-10-2022 द्वारा नामंजूर किया गया है कि वह वैधानिक रूप से विवाहिता पत्नी नही थी तथा इसलिए, वह सीसीएस (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 7 (क) (i) के अधीन कुटुंब पेंशन की हकदार नही है।

38. रिट याचिकाकर्ता के उक्त अभिवाक को विद्वान अधिकरण द्वारा इस आधार पर नामंजूर किया गया है कि सीसीएस (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 7 (क) (i) उपबंध करता है कि कुटुंब पेंशन एक से अधिक विधवाओ को देय है। कुटुंब पेंशन समान अंशो में विधवाओ को अदा किया जायेगा।

39. विद्वान अधिकरण ने शब्द "विधवा" का निर्वचन किया है तथा इस निष्कर्ष पर आया है कि यदि अधिकार का दावा किया जाना चाहिए, इसका दावा कानूनी प्रावधान से ढ़ाचे में किया जाना चाहिए। कानूनी प्रावधान के अन्तर्गत, "विधवा" को कुटुंब पेंशन हेतु हकदार ठहराया गया है तथा एक को मात्र मृतक कर्मचारी का "विधवा" कहा जायेगा यदि वह यह साबित करने में सक्षम है कि वह मृतक कर्मचारी की वैधानिक रूप से विवाहिता पत्नी थी।

40. विद्वान अधिकरण पूर्वोक्त कारण के आधार पर इस निश्चायक निष्कर्ष पर आया है कि मामले के तथ्यो तथा परिस्थितियो में, सीसीएस (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 7 (क) (i) का प्रावधान लागू नही होता है तथा इस प्रकार, मूल आवेदन को खारिज किया था जिसके विरूद्ध वर्तमान रिट याचिका को अधिमानित किया गया है।

41. आधार जिसे रिट याचिकाकर्ता की ओर से लिया गया है जिसके आधार पर इसका उत्तर देने के लिए विवाद्यक सं. (i) तथा (ii) को प्रतिपादित किया गया है, इस न्यायालय की राय है कि सीसीएस (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 7 (क) (i) के प्रावधान को इसमें निर्दिष्ट किये जाने की आवश्यकता है जो निम्नवत पठित है:-

"7 (क) (i) जहाँ कुटुंब पेंशन एक से अधिक विधवाओ को देय होता है, कुटुंब पेंशन समान अंशो में विधवा को संदत्त किया जायेगा।

(ii) विधवा के मृत्यु के पश्चात, कुटुंब पेंशन का इसका अंश इसके पात्र संतान को देय होगा।

परन्तु यदि विधवा का कोई जीवित संतान नही है, कुटुंब पेंशन का इसका अंश व्यपगत नही होगा बल्कि समान अंशो में अन्य विधवाओ को देय होगा या यदि एक मात्र इसके पूर्णतया इस प्रकार की एक अन्य विधवा है।"

42. पूर्वोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि कुटुंब पेंशन को एक से अधिक विधवाओ को देय होगा अभिनिर्धारित किया गया है, कुटुंब पेंशन समान अंशो में विधवा को देय होगा।

43. नियम 7 (क)(ii) उपबंध करता है कि विधवा के मृत्यु के बाद, कुटुंब पेंशन का इसका अंश इसके पात्र संतान को देय होगा। उक्त प्रावधान में इस आशय का परन्तुक अन्तर्विष्ट है कि यदि विधवा का कोई संतान जीवित नही है, कुटुंब पेंशन का इसका अंश व्यपगत नही होगा बल्कि समान अंशो में अन्य विधवाओ को देय होगा, या यदि इसके पूर्णतया केवल एक इस प्रकार की अन्य विधवा है।

44. इसलिए, पूर्वोक्त प्रावधान में "विधवाओ" को सीसीएस (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 7 (क)(i) के अधीन दिये जाने वाले दावे के संबंध में बल दिया गया है। दो विधवाओ के मामले में, समान अंश, पहले विधवा के मृत्यु के मामले में, सम्पूर्ण अंश तथा पहले विधवा के संतान के अभाव में सम्पूर्ण अंश दूसरी विधवा को मिलेगा।

45. अतः पूर्वोक्त प्रावधान के आशय के अनुसरण में, कुटुंब पेंशन के हकदारी हेतु अनिवार्य यह है कि महिला को विधवा होना चाहिए तथा इस तथ्य को साबित करने के लिए कि महिला विधवा है, इसे साबित करना पड़ता है कि वह मृतक कर्मचारी की वैधानिक रूप से विवाहिता पत्नी थी।

46. यह न्यायालय अब कानूनी प्रावधान के पूर्वोक्त आधार पर दोनो विवाद्यको का उत्तर देने के लिए अग्रसर हो रहा है।

47. इसमें स्वीकृत तथ्य यह है कि रिट याचिकाकर्ता ने मुख्यतया इस आधार पर मृतक कर्मचारी की विधवा होने का दावा किया है कि वह मृतक कर्मचारी के साथ रह रही थी। फिर भी, यह साबित करने के लिए मुखिया का प्रमाणपत्र, पैनकार्ड, आधार कार्ड इत्यादि दाखिल किया गया है कि वह वैधानिक रूप से विवाहिता पत्नी थी। अन्य दस्तावेज अर्थात फार्म-6 को रिट याचिकाकर्ता की हैसियत पत्नी होना प्रदर्शित करते हुए मृतक कर्मचारी द्वारा भरा गया है।

48. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि दस्तावेज अर्थात मुखिया का प्रमाणपत्र, फार्म-6 आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसा अभिलेख पर लाया गया है के आधार पर उपधारणा पर पहुँचा जाना चाहिए तथा इस आशय का ***भरोसा शिरामाबाई पत्नी पुण्डलीक भावे तथा अन्य बनाम कैप्टन, अभिलेख अधिकारी कृते ओ.आई.सी अभिलेख, सेना कार्य अभिलेख, गया, बिहार राज्य तथा एक अन्य*** (ऊपर) के मामले में मा. शीर्ष न्यायालय के निर्णय पर रखा गया है।

49. उस पल जब रिट याचिकाकर्ता ने उपधारणा का आधार लिया है तब प्रश्न पैदा होगा कि उपधारणा किस न्यायालय द्वारा, क्या न्यायालय जिसके पास आरंभिक अधिकारिता है या मुख्य साक्ष्य द्वारा निष्कर्ष देते हुए उपधारणा पर आने के लिए सिविल अधिकारिता के सक्षम न्यायालय के पास।

50. हमने ***शिरामाबाई पत्नी पुण्डलीक भावे तथा अन्य बनाम कैप्टन, अभिलेख अधिकारी कृते ओ.आई.सी. अभिलेख, सेना कार्य अभिलेख, गया, बिहार राज्य तथा एक अन्य*** (ऊपर) के मामले में मा. शीर्ष न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का परिशीलन किया है जिसमें अन्तर्वलित तथ्यात्मक पहलू यह है कि कर्मचारी ने श्रीमती अनुसुया के साथ विवाह अनुष्ठापित किया था। अनुसुया के साथ विवाह के अस्तित्व के दौरान इसने अपीलार्थीनी सं. 1 अर्थात श्रीमती शिरामाबाई से विवाह किया था। संबंधित कर्मचारी को इसके अनुरोध पर सेवामुक्त कर दिया गया था तथा सेवा पेंशन अनुदत्त किया गया था। लेकिन श्रीमती अनुसुया के साथ विवाह के अस्तित्व अवधि के दौरान, अपीलार्थीनी सं. 1 मृतक कर्मचारी के साथ रह रही थी। फिर भी, विवाह-विच्छेद की डिक्री भी दाखिल किया गया था जिस की डिक्री वर्ष 1990 में सभी समझौता के आधार पर की गई थी।

51. इसलिए, पूर्वोक्त मामले के तथ्यात्मक पहलू से प्रकट होता है कि उक्त मामले की अपीलार्थीनी सं.1, दूसरी पत्नी वर्ष 1981 से मृतक कर्मचारी के साथ रह रही थी तथा सुसंगत समय के दौरान विवाह विच्छेद हेतु डिक्री सक्षम सिविल अधिकारिता के न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया था जिसकी डिक्री कभी माह नवम्बर 1990 में की गई थी।

52. दूसरी पत्नी ने इस आधार पर मृतक के पेंशनिक फायदे का दावा किया है कि पहली पत्नी अर्थात अनुसुया ने मृतक के पेंशनिक फायदे का दावा नही किया था तथा इसलिए, उत्तरदातागण को अपीलार्थी के वैधसम्मत दावे को अनुदत्त करना चाहिए था लेकिन इसे

अस्वीकार किया गया है जिसके कारण उक्त मामले की अपीलार्थीनी सं.1 विधि न्यायालय में आई है।

53. आगे यह प्रतीत होता है कि माह नवम्बर 1990 में पारित विवाह-विच्छेद डिक्री के बाद, पहली पत्नी का नाम सेवा अभिलेख से निकाल दिया गया था तथा उक्त मामले के दूसरी पत्नी अपीलार्थीनी सं.1 का नाम इसमें अन्तः स्थापित किया गया था।

54. फिर भी उक्त मामले के अपीलार्थीनी सं 1 के दावा को विद्वान सिविल जज(सीनियर डिवीजन) चिकोदी द्वारा अनुज्ञात किया गया था जिसके अन्तर्गत इस आशय की घोषणा की मांग करने हेतु अपीलार्थीगण द्वारा संस्थित वाद कि अपीलार्थीनी सं.1 स्व. सुबेदार पुण्डलिक भावे की वैधानिक रूप से विवाहिता पत्नी है तथा अपीलार्थी सं.2 तथा 3 इसके धर्मज संताने है जिसकी डिक्री इसमें यह धारित करते हुए इनके पक्ष में की गई थी कि ये लोग पूर्वीक्त मामले के उत्तरदातागण द्वारा देय पेंशनिक फायदे के हकदार हो गये थे तथा मृतक सुबेदार भावे के नाम में स्थायी हो गये थे।

55. फिर भी, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) चिकोदी द्वारा पारित पूर्वीक्त निर्णय को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उलट दिया गया था जिसकी पुष्टि द्वतीय अपीलीय न्यायालय द्वारा की गई है। तत्पश्चात, मामला मा. शीर्ष न्यायालय तक पहुँचा था। मा. शीर्ष न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के प्रावधान का संदर्भ करते हुए विद्वान सिविल जज (सीनियर डिवीजन), चिकोदी द्वारा पारित डिक्री के आधार पर उपधारणा निकाला है तथा प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय न्यायालयो द्वारा पारित निर्णय को उलट दिया है।

56. अब वर्तमान मामले के तथ्यो पर वापस आते है, सिविल अधिकारिता के किसी सक्षम न्यायालय द्वारा कोई घोषणा नही है जहाँ तक इसका संबंध सक्षम अधिकारिता के किसी न्यायालय द्वारा दिये गये विधवा के बारे में घोषणा का संबंध है।

57. फिर भी रिट याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि यह मुखिया द्वारा दिये गये प्रमाणपत्र तथा फार्म-6 के आधार पर वैधानिक रूप से विवाहिता पत्नी के अपने हैसियत के परिणामस्वरूप विधवा है जहाँ मृतक कर्मचारी ने पत्नी के रूप में रिट याचिकाकर्ता के हैसियत के संबंध में घोषणा दिया है।

58. मा. शीर्ष न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय पर आधारित तर्क दिया गया है कि इन दोनो दस्तावेजो को आधार पर विद्वान अधिकरण को साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के प्रावधान के दृष्टिगत उपधारणा पर पहुँचना चाहिए था।

59. इसलिए, यह न्यायालय पूर्वोक्त विवाद्यक का मूल्यांकन करना उचित तथा उपयुक्त समझता है जैसा साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के प्रावधान को निर्दिष्ट करने के लिए याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया है, जो यहाँ निम्नवत पठित है:-

> 114. न्यायालय किन्ही तथ्यो का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा- न्यायालय ऐसे किसी तथ्य का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा जिसका घटित होना उस विशिष्ट मामले के तथ्यो के संबंध में प्राकृतिक घटनाओ,मानवीय आचरण तथा लोक और प्राइवेट कारबार के सामान्य अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए वह संभाव्य समझता है। न्यायलय उपधारित कर सकेगा-
>
> (क) कि चुराये हुए माल पर जिस मनुष्य का चोरी के शीघ्र उपरान्त कब्जा है, जब तक कि वह अपने कब्जे का कारण न बता सके, या तो वह चोर है या उसने माल को चुराया हुआ जानते हुए प्राप्त किया है:
>
> (ख) कि सह- अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य है, जब तक कि तात्विक विशिष्टियो में उसकी संपुष्टि नही होती।
>
> (ग) कि कोई प्रतिगृहीत या पृष्ठांकित विनियम पत्र समुचित प्रतिफल के लिए प्रतिगृहीत या पृष्ठांकित किया गया है;
>
> (घ) कि ऐसी चीज या चीजो की दशा अब भी अस्तित्व में है, जिसका उतनी लघुतर कालावधि में अस्तित्व में कालावधि से जितनी में ऐसी चीजे या चीजो की दशाएँ प्रायः अस्तित्व शून्य हो जाती है में होना दर्शित किया गया है।
>
> (ङ) कि न्यायिक और पदीय कार्य नियमित रूप से संपादित किये गये है,
>
> (च) कि विशिष्ट मामलो में कारबार के सामान्य अनुक्रम का अनुसरण किया गया है।
>
> (छ) कि यदि वह साक्ष्य जो पेश किया जा सकता था और पेश नही किया गया है, पेश किया जाता है वो उस व्यक्ति के अननुकूल होता, जो उसका विधारण किए हुए है:
>
> (ज) कि कोई मनुष्य ऐसी किसी प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करता है, जिसका उत्तर देने के लिए वह विधि द्वारा विवश नही है: तो उत्तर यदि दिया जाता, उसके अननुकूल होता;
>
> (झ) कि जब किसी बाध्यता को सृजन करने वाली दस्तावेज बाध्यता धारी के हाथ में है, तब उस बाध्यता का उन्मोचन हो चुका है।

60. पूर्वोक्त प्रावधान कतिपय तथ्यो के अस्तित्व पर न्यायालय द्वारा उपधारणा के प्रयोजन हेतु है जिसकी उपधारणा न्यायालय इस तथ्य के आधार पर कर सकता है कि यदि जिसका घटित होना उस विशिष्ट मामलो के तथ्यो के संबंध में प्राकृतिक घटनाओ, मानवीय आचरण तथा लोक और प्राइवेट कारबार के सामान्य अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए वह संभाव्य समझता है।

61. साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के विवक्षा पर विचार मा. शीर्ष न्यायालय द्वारा (1980) 1 एससीसी 1930 में संप्रकाशित के मामले में किया गया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि तथ्य की उपधारणा जैसा साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के विभिन्न खण्डो में उठाया गया था स्वयं साक्ष्य नही होगा बल्कि केवल प्रथमदृष्टया पक्षकार के लिए मामला बनता है।

62. इसलिए, विधि जैसा साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अधीन अनुबद्ध किया गया है केवल तथ्यात्मक पहलू के उपधारणा के आधार पर प्रथम दृष्टया विचार बनाने के लिए है।

63. ***शिरामाबाई पत्नी पुण्डलीक भावे तथा अन्य बनाम कैप्टन,अभिलेख अधिकारी कृते ओ.आई.सी. रेकार्ड, सेना कार्य अभिलेख, गया, बिहार राज्य तथा एक अन्य*** (ऊपर) में मा. शीर्ष न्यायलय द्वारा दिये गये निर्णय में, प्रथम न्यायालय अर्थात सिविल जज (सीनियर डिवीजन) द्वारा पारित निर्णय का परिशीलन करने के पश्चात उपधारणा पर पहुँचा गया है जिसमें मृतक कर्मचारी के विवाह से जन्म लिये संतानो तथा इसे पत्नी की हैसियत ठहराने के संबंध में अपीलार्थीनी सं.1 दूसरी पत्नी के हकदारी के संबंध में घोषणा दिया जाना जिससे कुटुंब पेंशन का लाभ मिल सके। फिर भी, पूर्वोक्त निर्णय को प्रथम तथा द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा उलट दिया गया है।

64. मा. शीर्ष न्यायालय तर्क का मूल्यांकन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर आते हुए साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अधीन किये गये अनुबंध के अनुसार उपधारणा के सिद्धांत के साथ बाहर आया है कि सुसंगत दस्तावेजो पर आधारित आरंभिक न्यायालय द्वारा जो भी अभिनिर्धारित किया गया है, घोषणा की डिक्री विरोध पर दी गई थी तब उच्चतर न्यायालयो अर्थात प्रथम तथा द्वितीय अपीलीय न्यायालय को प्रथमदृष्टया विचार पर पहुँचने के प्रयोजन हेतु पूर्वोक्त तथ्य पर विचार करना चाहिए था।

65. वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के प्रावधान के अनुसार तथा मुखिया द्वारा जारी प्रमाणपत्र तथा स्वयं मृतक कर्मचारी द्वारा फार्म-6 में पत्नी के रूप में रिट याचिकाकर्ता के हैसियत की घोषणा के आधार पर उपधारणा के आधार पर दावा कर रही है।

66. साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के प्रावधान के अनुसार उपधारणा के सिद्धांत के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए भी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा दोनो दस्तावेजो की जाँच किये जाने की आवश्यकता है।

67. सीसीएस (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 7 (क) (i) के प्रावधान पर आते है, कानूनी आदेश यह है कि विधवा कुटुंब पेंशन की हकदार होगी। प्रश्न यह है कि किसे विधवा के रूप में माना जा सकता है। क्या वैधानिक रूप से विवाहित हुए बिना महिला पुरूष या लोक सेवक की विधवा के हैसियत का दावा कर सकती है जो जीवित नही है।

68. विधवा महिला के मृत्यु के बाद परिणाम के परिणामस्वरूप है। कथित तौर पर वैधानिक रूप से विवाहित विवाह के अभाव में, महिला उस विशेष व्यक्ति के विधवा की हैसियत नही ले सकती है, जो दुनिया में नही है। इसलिए, प्रमुख शर्त इस तथ्य के संबंध में निश्चायक निष्कर्ष पर आना है कि जब महिला या पुरूष, जैसा भी स्थिति हो, सीसीएस (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 7 (क) (i) के प्रावधान के अनुसार कुटुंब पेंशन की फायदे का दावा कर रहा हो यह साबित करने का भार इस पर होता है कि वह पति/ पत्नी अर्थात वैधानिक रूप से विवाहित पति का वैधानिक रूप से विवाहिता पत्नी है जिससे विधवा के हैसियत तक आया जा सके, यदि पुरूष सदस्य जो कर्मचारी था, मर गया है या यदि महिला काम कर रही थी तथा मर गई थी तब जीवित पति पेंशनिक फायदे के लिए हकदार होगा। फिर भी, सीसीएस (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 7 (क) (i) के का प्रावधान पुरूष सदस्यो के हकदारी से संबंधित नही होता है चूकि पुरूष सदस्य का अर्थ विधवा होना नही निकाला जा सकता है जिसका मतलब है कि यह मात्र पति/पत्नी के प्रयोजन हेतु अभिप्रेत है जो महिला है तथा इस प्रकार शब्द विधवा का प्रयोग इसमें किया गया है।

69. यहाँ, रिट याचिकाकर्ता का यह स्वीकृत मामला है कि मुखिया के प्रमाणपत्र तथा रिट याचिकाकर्ता के मृतक कर्मचारी की पत्नी की हैसियत के संदर्भ की घोषणा के सिवाय कोई सार नही है।

70. प्रश्न यह है कि ऐसे दोनो दस्तावेजो के आधार पर न्यायालय प्रथम दृष्टया इस विचार पर पहुँच सकता है कि रिट याचिकाकर्ता वैधानिक रूप से विवाहिता पत्नी थी जिससे वह सीसीएस (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 7 (क) (i) के लपेटे के अन्तर्गत आने के प्रयोजन हेतु विधवा की हैसियत में आई थी।

71. विधि पहले से ही सुस्थापित है कि आधार कार्ड तथा पैनकार्ड को अधिकार का सृजन करने के प्रयोजन हेतु सारवान साक्ष्य नही कहा जा सकता है।

72. जैसा, मा. शीर्ष न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि उपधारणा प्रथम दृष्टया मामले के आधार पर है लेकिन इन दोनो दस्तावेजो के आधार पर कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के कानूनी प्रावधान के अन्तर्गत बहुमूल्य अधिकार प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु प्रथम दृष्टया विचार हमारे सुविचारित राय के अनुसार न्यायसंगत तथा उचित नही कहा जा सकता है।

73. जहाँ तक तीसरे विवाद्यक का संबंध है कि इस तथ्य के आधार पर रिट याचिकाकर्ता के दावे की नामूंजरी है कि वह वैधानिक रूप से विवाहिता पत्नी नही थी। फिर भी, सीसीएस (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 7 (क) (i) का प्रावधान शब्द वैधानिक रूप से विवाहिता पत्नी को निर्दिष्ट नही करता है, बल्कि प्रमुख शब्द “विधवा” है।

74. अधिकारियो ने इस आधार पर दावा नामंजूर किया है कि वह दूसरी पत्नी है जैसा पेपर बुक के भाग के रूप में आदेश दिनांक 11-02-2022 में उपलब्ध है लेकिन क्या पूर्वोक्त तथ्य के आधार पर नये सिरे से निर्णय लेने के लिए अधिकारी के समक्ष मामला वापस भेजना न्यायसंगत तथा उचित हो सकता है यदि विधि जिससे फायदा प्राप्त किया जाना है अर्थात सीसीएस (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 7 (क) (i) रिट याचिकाकर्ता के दावा के विरूद्ध है क्योकि वह "विधवा" के हैसियत में उक्त नियम के प्रावधान के अन्तर्गत नही आ रही है।

75. विधि सुस्थापित है कि प्रति प्रेषित किये जाने का आदेश पारित किया जाना चाहिए यदि वास्तविक परिणाम में बदलाव की गुंजाइश है तथा प्रतिप्रेषित किये जाने के बाद भी परिणाम में बदलाव की कोई गुंजाइश नही है तब उपचार का प्रयोजन यदि परिणाम में बदलाव की गुंजाइश नही है, इसे खाली औपचारिकता तथा निरर्थक कवायद कहा जायेगा जैसा एस्कार्ट फार्म लि. बनाम आयुक्त, कुमायू मंडल, नैनीताल, उ.प्र. तथा अन्य (2004) 4 एससीसी 281 के मामले में मा. शीर्ष न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है जिसमें पैरा 64 पर यह संप्रेक्षित किया गया है जिसे यहाँ निम्नवत उत्कथित किया जाता है:-

> "64 नैसर्गिक न्याय के नियमो का पालन सारवान न्याय करने हेतु किया जाना चाहिए न कि गुणावगुण पर मामले के निर्णय में किसी बदलाव के संभावना के बिना सुनवाई के मात्र विधि को पूरा करने के लिए। ऊपर हमारे द्वारा बताये गये विधिक स्थिति के दृष्टिगत, इसलिए हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत अपने बैवेकिक शक्तियो के प्रयोग में इन मामलो को प्रतिप्रेषित नही करते है।

76 आगे, मा.शीर्ष न्यायालय ने ***धरमपाल सत्यपाल लि. बनाम उपायुक्त, केन्द्रीय उत्पाद, गौहाटी तथा अन्य (2015) 8 एससीसी 579]*** में पैरा 45 में समान विचार लिया है जो निम्नवत पठित है :-

> "45. पूर्वोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जब भी हम पाते है कि नैसंर्गिक न्याय के सिद्धांतो का उल्लंघन किया गया है, हमें आगे प्रश्न का समाधान करना है कि क्या अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी करनेके बाद वसूली योग्य धनराशि के बारे में नये सिरे से माँग करने के लिए अधिकारी को मामला प्रतिप्रेषित करने में कोई प्रयोजन पूरा होगा। वर्तमान मामले के तथ्यो में, हम पाते है कि इस प्रकार की कवायद आर.सी. तम्बाकू (2005) 7 एससीसी 725 में इस न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि को ध्यान में रखते हुए पूर्णतया निरर्थक होगा।"

77. इस न्यायालय ने पूर्वीक्त विधि के आधार पर पूर्वीक्त तथ्य की जाँच किया है कि क्या अधिकारी के समक्ष मामले को प्रतिप्रेषित करने को खाली औपचारिकता तथा निरर्थक कवायद नही कहा जायेगा ?

78. इसमें चूकि रिट याचिकाकर्ता वैध वैवाहिक प्रस्थिति के बारे में साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 की सहायता लेते हुए उपधारणा के आधार पर भी साबित करने में सक्षम नही रही है तब किस प्रयोजन हेतु मामले को प्रतिप्रेषित किया जायेगा तथा इन परिस्थितियो में यदि मामले को प्रतिप्रेषित किया जायेगा, परिणाम में बदलाव की संभावना नही है जो सीसीएस (पेंशन) नियमवली 1972 के नियम 7 (क) (i) के प्रावधान के दृष्टिगत कुटुम्ब पेंशन के अधिकार का दावा करने के प्रयोजन हेतु है।

79. इसलिए इस न्यायालय का विचार है कि यद्यपि अधिकारियो ने गलत आधार पर दावा नामंजूर किया है तब भी इस तथ्य के दृष्टिगत इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नही है कि रिट याचिकाकर्ता सीसीएस (पेंशन) नियमवली 1972 के नियम 7 (क) (i) के अधीन दिये जाने वाले अपने सारवान अधिकार के मामले बनाने में सक्षम नही रही है।

80. तद्नुसार, सभी तीनो विवाद्यको का उत्तर दिया जा रहा है।

81. विद्वान अधिकरण द्वारा पारित आदेश पर वापस आते है, इस न्यायालय का विचार है कि विद्वान अधिकरण ने सीसीएस (पेंशन) नियमवली 1972 के नियम 7 (क) (i) के प्रावधान को ध्यान में रखा है तथा इस निष्कर्ष पर आने के बाद कि तथ्य में कोई सार नही है कि रिट याचिकाकर्ता वैधानिक रूप से विवाहिता पत्नी है तथा इसलिए, यदि विद्वान अधिकरण इस निष्कर्ष पर आया है कि इसके पास "विधवा" की हैसियत होना नही कहा जा सकता है जिससे इसे कुटुंब पेंशन के फायदे हेतु हकदार ठहराया जा सके।

82. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि पूर्वीक्त निष्कर्ष नियम के सही निवर्चन पर आधारित है, अतः यह ऐसा मामला नही है जहाँ ***एल.चन्द्र कुमार बनाम भारत संघ तथा अन्य*** (ऊपर) जैसा एतस्मिनउपरोक्त निर्दिष्ट है के मामले में मा. शीर्ष न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि के अनुसार न्यायिक पुनर्विलोकन के शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

83. तद्नुसार इस न्यायालय का विचार है कि वर्तमान याचिका गुणावगुण रहित है तथा इसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायमूर्ति)

(संजय प्रसाद,न्यायमूर्ति)

(यह अनुवाद 02 शिवा कान्त तिवारी पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया)